डिगरी बमकदम इत्तला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 434 / 2018

वादी :- ओमाराम पुत्र श्री पन्नाराम, जाति जाट, निवासी सातलावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जसाराम पुत्र श्री पन्नाराम
2. चेनाराम पुत्र स्व. श्री हापूराम
3. साबुराम पुत्र स्व. श्री हापूराम
4. बाजुड़ी पत्नी स्व. श्री हापूराम
5. बुधाराम पुत्र आईदान
6. सुखाराम पुत्र जीवणराम
7. रामनिवास पुत्र सुखाराम
8. रामस्वरूप पुत्र सुखाराम

   सभी जातियान जाट, निवासीगण सातलावास तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

9. जसुदेवी पत्नी श्री बुधाराम, जाति जाट(मुवाल), निवासी सातलावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
10. तहसीलदार, मेड़ता।
11. पटवारी, पटवार हल्का, सातलावास।
12. पटवारी, पटवार हल्का, मोकलपुर।

वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय दिनांक :–24.08.2018

Scanned by CamScanner

1\. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू है व हिन्दू विधि की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। जिनका सिजरा खानदान अर्जीदावा के पैरा संख्या 1 में वर्णितानुसार है। मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 574 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 575 रकबा 0.96 हैक्टेयर किस्म चा–1, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बा–1, खसरा नम्बर 255 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म बा–1, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.22 हैक्टेयर किस्म बा.उ.बी., खसरा नम्बर 857 रकबा 2.15 हैक्टेयर किस्म चा–2, खसरा नम्बर 936 रकबा 3.20 हैक्टेयर व मौजा मोकलपुर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 3322 रकबा 1.95 हैक्टेयर किस्म चा–3, खसरा नम्बर 3323 रकबा 4.02 हैक्टेयर किस्म चा–3 वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के आये हुए है। उपरोक्त खसरान का मौका पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवाड़ा किया हुआ है मगर बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने से यह वाद पेश है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने उक्त आराजी वादी के परिवार से खरीद की है। प्रतिवादी संख्या 9 जसुदेवी ने खसरा नम्बर 254 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से 1.20 हैक्टेयर की जमीन वादी के परिवार से खरीद की थी, जिसके नये खेत खसरा नम्बर 1230/254 रकबा 1.20 हैक्टेयर है, जो खसरा नम्बर 254 में उत्तरी तरफ आया हुआ है। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है, उसके बावजूद भी वादी के नाम बंट के अनुसार खातेदारी दर्ज

Scanned by CamScanner

नही होने से वादी के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है, जिससे बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ होने के कारण उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ, सो वाद पेश है। वादी एवं प्रतिवादीगण का उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार अलग–अलग बंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व नक्शा में अलग–अलग दर्शाई जावें तथा मौजा मोकलपुर की सरहद में स्थित संयुक्त खातेदारी की जमीन में वादी का नाम ओमाराम के स्थान पर उमाराम सेटलमेंट के कर्मचारियों, अधिकारीयों की सहवन, भूल से दर्ज हो गया, जिससे उमाराम के स्थान पर ओमाराम दर्ज किया जावें, जिस हेतु यह घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है। मौजा मोकलपुर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 3322, 3323 में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पिता व पति हापुराम के नाम संयुक्त खातेदारी की जमीन आयी हुई है, प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पिता व पति हापुराम का स्वर्गवास हो चुका है, हापुराम जी के स्वर्गवास होने के पश्चात उत्तराधिकारी म्यूटेशन भूल से भरा नही गया है, प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 ही हापुराम के विधिक उत्तराधिकारी नही है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम खातेदारी घोषित करवाने हेतु यह घोषणा खातेदारी का दावा पेश करना लाजमी होने से दावा पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा सातलावास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 385, 92, नक्शा ट्रेस, मौजा मोकलपुर की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 527, नक्शा ट्रेस,

Scanned by CamScanner

मौजा सातलावास की जमाबंदी सम्वत् 2045 से 2048, खाता संख्या 159, सम्वत 2043 से 2045, खाता संख्या 49, मिलान क्षेत्रफल सातलावास व मोकलपुर की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 12 का सम्मन तारीख पेशी 13.08.2018 को तामील सुदा प्राप्त, आवाज लगायी गई अनुपस्थित रहने से दिनांक 13.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी ओमाराम के बंट में :–** मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 254 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ का हिस्सा, खसरा नम्बर 255 रकबा 1.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा मोकलपुर की सरहद में खसरा नम्बर 3323 रकबा 4.02

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 2.01 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की भूमि अर्थात कुल रकबा 3.43 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(2). **प्रतिवादी संख्या 1 जसाराम के बंट में :–** मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 857 रकबा 2.15 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(3) **प्रतिवादी संख्या 2 चेनाराम, प्रतिवादी संख्या 3 साबुराम, प्रतिवादी संख्या 4 बाजुड़ी के संयुक्त के बंट में :–** मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 574 रकबा 0.01 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.96 हैक्टेयर में से 0.64 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का हिस्सा, खसरा नम्बर 936 रकबा 3.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण अर्थात रकबा 3.85 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(4) **प्रतिवादी संख्या 5 बुधाराम के बंट में :–** मौजा मोकलपुर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 3323 रकबा 4.02 हैक्टेयर में से 1/2 उत्तरी तरफ का हिस्सा 2.01 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(5) **प्रतिवादी संख्या 6 सुखाराम के बंट में :–** मौजा मोकलपुर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 3322 रकबा 1.95 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(6) **प्रतिवादी संख्या 7 रामनिवास, प्रतिवादी संख्या रामस्वरूप के संयुक्त बंट में :–** मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 575 रकबा 0.96 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ भूमि बंट व खातेदारी में रहेगीं।

6(7) **प्रतिवादी संख्या 9 जस्सुदेवी ने खसरा नम्बर 254 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से रकबा 1.20 हैक्टेयर जमीन वादी के परिवार से**

Scanned by CamScanner

खरीदी थी। जिसके नये खेत खसरा नम्बर 1230/254 रकबा 1.20 हैक्टेयर है। जो खसरा नम्बर 254 में उत्तरी तरफ आया हुआ है, बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता

Scanned by CamScanner